न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 57/2012 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– संतोखसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी 3 आर.बी.ए. पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

——— **अपीलान्ट**

— **बनाम** —

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर जरिये राजकीय अभिभाषक ।

——— **रेस्पोडेन्ट**

उपस्थित :– श्री सुरेश मोहता — अभिभाषक अपीलांट

श्री ललित शर्मा — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 18.07.2018

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अति.जिला मजिस्ट्रेट,(प्रशासन) श्रीगंगानगर के निलम्बन आदेश दिनांक 20.6.2012, जिसमें प्रार्थी अपीलान्ट ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 101/84 डीएम श्रीगंगानगर को नवीनीकरण का आवेदन पत्र विचाराधीन रहने के दौरान ही निलम्बित किया गया और अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को संबंधित पुलिस थाना में जमा कराने के आदेश दिये, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 101/84 डीएम श्रीगंगानगर समस्त राजस्थान का जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर से जारी है, जिस पर 12 बोर डीबीबीएल गन नं0 19403 दर्ज शुदा है तथा दिनांक 31.12.2008 तक नवीनीकृत है। अपीलांट ने अपने उक्त शस्त्र लाईसेंस को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से जांच कर रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1768 दिनांक 29.1.2009 में यह उल्लेख किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध कुल

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

छः आपराधिक मुकदमें भादंसं/आर्म्स एक्ट की गंभीरतम धाराओं में दर्ज हुए हैं, जिनमें से तीन में राजीनामा, दो में दोषमुक्त और एक में चालान पेश होकर न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण "आवेदक के आपराधिक रिकार्ड को देखते हुए शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा नहीं की जाती है।" की टिप्पणी की है। इसी टिप्पणी को आधार मानते हुए अति.जिला मजिस्ट्रेट,(प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.2012 से अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया गया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश त्रुटि पूर्ण एवं अविधिक होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना मूल दस्तावेजात व बिना किसी युक्ति युक्त आधारों पर आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जो खारिज योग्य है। अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा सं0 42/2014 धारा 307, 447, 323, 326, 34 आईपीसी का झूठा दर्ज करवाया गया है। उक्त मुकदमा में माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, श्री करणपुर में दर्ज फौजदारी अपील सं. 49/2011 अनवान रघुवीरसिंह वगैरह बनाम स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2016 में अपीलांट को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है। इस संबंध में गृह (ग्रुप–9) विभाग, राज. सरकार का पत्र दिनांक 15.3.2013 के अनुसार आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्ध होने पर अनुज्ञा पत्र को निरस्त/निलम्बित करने तथा दोषमुक्त किये जाने पर अनुज्ञा पत्र का निलम्बन या प्रतिसंहरण शून्य होना व्यक्त किया गया है। तद्नुसार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। अपीलांट के विरूद्ध किसी भी हथियार से चोट मारने का आरोप नहीं है, जो आरोप लगाया है, वह झूठा है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा किसी प्रकार के हथियार के दुरूपयोग, बन्दूक से फायर, डराने–धमकाने या आर्म्स एक्ट के तहत कोई आपराधिक कृत्य कारित करने का कोई आरोप नहीं है। पुलिस अधीक्षक की किसी प्रकार की ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि उसके पास हथियार होने से लोक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा को कोई खतरा हो। इस संबंध में AIR 1972 All 510 Maisuddin V/s Commissioner को उल्लेखनीय बताया है तथा RRD 2005 Vol-1 431 Raj. (DB) Khemsing V/s State of Raj. and Ors, DNJ 2007 (3) Raj. 1525

आयुक्त
बीकानेर

and DNJ 2009(2) Raj. 908 को भीउल्लेखनीय बताया है। जहॉ तक पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने का प्रश्न है, यदि लाईसेंस अधिकारी सन्तुष्ट हो जाता है तो बिना पुलिस रिपोर्ट के भी लाईसेंस बना सकता है व उसकी शर्तो में परिवर्तन कर सकता है। पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करना लाईसेंसिंग ऑथोरिटी की इच्छा पर निर्भर करता है, किन्तु इस पर आश्रित होकर ही फैसला देना गलत है व विधि विरूद्ध है। अपीलांट का लाईसेंस 1985 से प्रभावी है। गत 27 वर्षो से लगातार नवीनीकृत होता रहा है। इस दरम्यान अपीलांट ने कभी शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया है। अपीलांट शांति प्रिय नागरिक है। उसने कभी भी शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया है। प्रार्थी अपीलांट ने किसी भी मैटेरियल इन्फोरमेंशन्स को न तो छुपाया है, न ही किसी प्रकार की गलत सूचना ही विभाग को दी है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि व फसल की निगरानी हेतु शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। अधिनस्थ न्यायालय ने सुनवाई हेतु पूर्व में निश्चित तिथि 26.7.12 से पहले ही बिना किसी सूचना के व बिना अपीलांट के व उसके वकील की उपस्थिति के पत्रावली दिनांक 20.6.2012 को पेशी में ली जाकर प्रार्थी का लाईसेंस बिना किसी सुनवाई के निलम्बित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अपने कथनों के समर्थन में AIR 1986 Allahabad 142 (full Banch) chhanga prasad V/s State of U.P., AIR 1972 All 510 Maisuddin V/s Commissioner 2005(2) Cr.L.R.Raj. Page 907 (D.B.) Khemsing V/s State of Raj. and Ors. तथा आर्म्स एक्ट की धारा 17(3) की उप धाराओं a,b,c,d,e तथा धारा 17 भी उल्लेखनीय बताते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

5. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर उपस्थित सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट क्रमांक 1768 दिनांक 29.1.09 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध भादंसं की धारा 307 एवं 25 आर्म्स एक्ट की धाराओं में दर्ज हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आपराधिक पृष्ठभूमि का व आदतन झगड़ालू प्रवृति का होने से लोकशांति भंग होने की पूरी–पूरी संभावना बनी रहती है। पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट में अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को केवल निलम्बित किया गया है, निरस्त/रद्द नहीं किया है। निलम्बन का आदेश अंतिम आदेश नहीं है। व्यापक लोक शांति तथा कानून व्यवस्था के मध्यनजर अपीलाधीन आदेश उचित पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

Reader-I

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण अनुसार अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र अति. जिला मजिस्ट्रेट,(प्रशासन) श्रीगंगानगर ने पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 29.1.09 के मध्यनजर केवल निलम्बित किया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से बताया है कि प्रार्थी अपीलांट ने कभी भी शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया है। 27 वर्षो से लगातार नवीनीकरण होता रहा है। अपीलाधीन आदेश में वर्णित मुकदमा सं0 42/04 अन्तर्गत धारा 307–447, 323, 326 व 34 में न्यायालय के निर्णय दिनांक 2.8.16 द्वारा अपीलान्ट को सन्देह के आधार पर दोष मुक्त किया जा चुका है । अपीलांट के विरूद्ध 6 मुकदमे आई. पी.सी की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दर्ज हुए हैं एक मुकदमे में शस्त्र अधिनियम की धारा 27 भी जोड़ी गयी है । अभिभाषक अपीलान्ट ने शेष मुकदमों के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है कि ये मुकदमें किन परिस्थितियों में और क्यों दर्ज हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यापक लोक शांति भंग होने, सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होने की प्रबल आशंका के रहते अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र केवल निलम्बित किया गया है, जिसे हम उचित समझते हैं। विद्वान सहायक लोक अभियोजक के इस कथन से भी हम सहमत हैं कि निलम्बन आदेश अंतिम आदेश नहीं है । अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की ऑर्डर शीट दिनांक 26.7.12 में दिये गये निर्देशानुसार अपीलार्थी जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है । अपीलार्थी के विरुध्द दर्ज हुए फौजदारी प्रकरणों के मध्यनजर इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है । इस प्रकार अति.जला मजिस्ट्रेट,(प्रशासन) श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.12 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

7. अतः प्रस्तुत अपील अपीलांट खारिज की जाकर अति.जिला मजिस्ट्रेट,(प्रशासन) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.2012 यथावत रखा जाता है।

8. अतः यह अपील अपीलान्ट तद्नुसार निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड वापिस लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

Reader-I